संख्या– यू0ओ0–44/18(2)/2008

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादून:दिनांक: 13 /01/2009

विषयः–श्री आशीष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हरिद्वार को कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार हेतु ग्राम सजनपुर पीली परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में कुल 1.284 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1372/भूमि व्यवस्था, दिनांक–26.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम सजनपुर पीली परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में श्री आशीष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास हरिद्वार को कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार हेतु खसरा संख्या–70 के अनुसार कुल 1.284 है0 भूमि जो वर्तमान में अभिलेखों में बंजर श्रेणी 5(1) में अंकित है को वर्तमान बाजार मूल्य के 2 गुने के बराबर नजराना एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 150/1/85(24)–रा 6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति का विघटन हो गया हो तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत संस्था द्वारा निःशक्तजन अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड से अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(7) प्रश्नगत संस्था द्वारा शासन–प्रशासन के स्तर से संस्था में भेजे जाने वाले कुष्ठ रोगी या छात्र–छात्राओं का समायोजन संस्था में किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्था/न्यास विधिक रूप से गठित व संचालित हैं व संस्था के लेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

(9) उपरोक्त शर्त संख्या–7 व 8 का अनुपालन लीज निष्पादन के पूर्व कर लिया जायेगा।

(10)आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या– 1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– ५५ /संगदिनांकत/2009

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3. सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री आशीष अध्यक्ष, दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज, चण्डीघाट, हरिद्वार।
7. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।